International Journal of Hindi Research
www.hindijournal.com
ISSN: 2455-2232
Received: 04-12-2021, Accepted: 20-12-2021, Published: 05-01-2022
Volume 8; Issue 1; 2022; Page No. 8-12

शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका

प्रीति[1], साधना[2]
[1] शोधार्थिनी, शिक्षा संकाय, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी), दयालबाग, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत
[2] असिस्टेंट प्रोफेसर, दाऊ दयाल महिला (पी. जी.) कॉलेज, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
भारत सरकार ने शिक्षा के विकास और सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में परामर्श देने के लिए सन 1964 में "शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। मार्च 1977 में भारत में जनता दल की सरकार बनी। तत्कालीन सरकार ने अप्रैल 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा–नीति का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया। परन्तु यह शिक्षा नीति कागजों पर रही क्योंकि 1980 में पुनः सत्ता का परिवर्तन हो गया। केन्द्र में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 की प्रस्तावना में कहा गया–"शिक्षा की आदर्श प्रणाली को लोगों को यह जानने के लिए तत्पर बनाना चाहिए कि उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताएँ क्या हैं और उनका अधिकतम विकास किस प्रकार किया जा सकता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के लाने में सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका रही है। परन्तु इस शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्य–रूप में परिणत न हो सके, जिसके फलस्वरूप विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को नहीं पहुँचाया जा सकता। साथ ही शिक्षा का विस्तार एवं स्तर का सुधार आवश्यकतानुसार न हो सका। इन समस्याओं का हल निकालना समय की प्रथम आवश्कयता है।
अतः इन नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा–नीति तैयार की जो सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय शिक्षा–नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया गया। 21 वी सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियां के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

मूलशब्द: शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति

प्रस्तावना
15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्रता की सुरभि में भारतीय शिक्षा ने करवट बदली। पराधीनता के कारण भारत में जो विष फैल गया था। उसे दूर करने और जन चेतना को जाग्रत करने, जनतंत्र के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति सजग करने के लिए शिक्षा को एक नवीन दिशा देने का निश्चय किया गया। इसी उद्दश्ये से प्रेरित होकर, जनवरी 1948 में भारत के शिक्षा मंत्री ने एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। उस अवसर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा– "पराधीन भारत में जब कभी शिक्षा की योजना बनाने के लिए सम्मेलन होते थे, तब उनमें समान्य रूप से कुछ संसाधनों के बाद प्रचलित शिक्षा प्रणाली को स्वीकार करने की प्रवृत्ति पाई जाती थी। किन्तु, अब हमें इस प्रवृति का त्याग कर देना चाहिए। और शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके उसे देश की नवीन परिस्थितियों के अनुरूप ढालना चाहिए। "पण्डित नेहरू के इस भाषण से अनुप्राणित होकर देश में शिक्षा को नई दिशा देने और उसकी बहुमुखी प्रगति के लिए जो चेष्ठाएँ अब तक की गई हैं। उनका संक्षिप्त विवरण निम्न है–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति
भारत सरकार ने शिक्षा के विकास और सुसंगठित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में परामर्श देने के लिए सन 1964 में "शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने लिखा अन्य साधन सहायता दे सकते हैं और वास्तव में कभी–कभी उनका अधिक प्रभाव हो सकता है। किन्तु शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली ही वह साधन है। जो सब व्यक्तियों तक पहुँच सकती है।"
आयोग ने अपने प्रतिवेदन में शिक्षा की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के विषय में जो विचार अंकित किए, उनको संसद के सदस्यों, विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों राज्यों के शिक्षा मंत्रियों व भारतीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने कुछ संसोधन के पश्चात स्वीकार किए। इसी के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति को सरकारी प्रस्ताव के रूप में 24 जुलाई 1966 को जारी किया। जिसमें निम्न 17 कार्यक्रमों को शामिल किया गया।

1. परीक्षाओं में सुधार।
2. खेलकूद की व्यवस्था।
3. कार्य अनुभव व राष्ट्रीय सेवा।
4. शैक्षिक अवसरों में समानता की स्थापना।
5. साक्षरता एवं वयस्क शिक्षा का प्रसार।
6. अल्पसंख्यकों की शिक्षा की व्यवस्था।
7. कृषि एवं उद्योगों के लिए शिक्षा का समान स्तर।
8. विज्ञान एवं अनुसंधान की शिक्षा का समान स्तर।
9. अध्यापकों के वेतन, शिक्षा एवं पद स्थिति में सुधार।
10. सस्ती पाठ्य पुस्तकों के स्तर एवं उत्पादन में सुधार।
11. त्रिभाषा सूत्र एवं प्रादेशिक भाषाओं का विकास।
12. प्रतिभाशाली छात्रों की खोज एवं उनकी प्रतिभा का अधिकतम विकास।
13. अल्पकालीन शिक्षा एंव पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था।
14. 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिर्वाय शिक्षा की व्यवस्था।
15. माध्यमिक स्तर पर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार।

16. उच्च शिक्षा के केन्द्रों की सुविधाओं में विस्तार और स्नातकोत्तर–स्तर पर अनुसंधान एवं पाठ्यक्रमों में सुधार।
17. शिक्षा की संरचना–10 वर्ष की सामान्य शिक्षा, 2 वक्र उच्चतर माध्यमिक शिक्षा एवं 3 वर्ष का प्रथम डिग्री कोर्स।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979

मार्च 1977 में भारत में जनता दल की सरकार बनी। तत्कालीन सरकार ने अप्रैल 1979 में राष्ट्रीय शिक्षा–नीति का प्रारूप संसद में प्रस्तुत किया। परन्तु यह शिक्षा नीति कागजों पर रही क्योंकि 1980 में पुनः सत्ता का परिवर्तन हो गया। केन्द्र में पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1979 की प्रस्तावना में कहा गया–"शिक्षा की आदर्श प्रणाली को लोगों को यह जानने के लिए तत्पर बनाना चाहिए कि उनकी शारीरिक एवं बौद्धिक क्षमताएँ क्या हैं और उनका अधिकतम विकास किस प्रकार किया जा सकता है। आदर्श शिक्षा–प्रणाली लोगों में सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों के प्रति जागरूकता विकसित करके उनमें उत्तम चरित्र का विकास करती है और समाज के उत्तरदायी सदस्यों के रूप में उन्हें उत्तम जीवन व्यवतीत करना सिखाती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

जब कभी नवचेतना की आवश्यकता प्रतीत हुई है, तभी शिक्षा ने सदैव एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम 21वीं सदी में पदार्पण करने वाले हैं तथा शिक्षा की चुनौतियाँ ज्ञान की खोज पर बल दे रहे है। ताकि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल शिक्षा–व्यवस्था बनाने के सम्भव तरीकों पर कुछ प्रकाश डाला जा सके। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है तथा भारत में शताब्दियाँ दशकों के रूप में बदलती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से शिक्षा में अनेक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के लाने में सन् 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अहम भूमिका रही है। परन्तु इस शिक्षा नीति के अधिकांश सुझाव कार्य–रूप में परिणत न हो सके, जिसके फलस्वरूप विभिन्न वर्गों तक शिक्षा को नहीं पहुँचाया जा सकता। साथ ही शिक्षा का विस्तार एवं स्तर का सुधार आवश्यकतानुसार न हो सका। इन समस्याओं का हल निकालना समय की प्रथम आवश्कयता है।

भारतीय विचारधारा के अनुसार मनुष्य स्वयं में बेशकीमती सम्पदा है, अमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है। आवश्यकता इस बात की है कि उसका पालन–पोषण गतिशील एवं संवेदनशील हो। ग्रामों में दिन–प्रतिदिन की सहूलियतों के अभाव में पढ़े–लिखे युवक ग्रामों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए ग्रामीण तथा नगरीय जीवन के अन्तर को कम करने तथा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के विविध तथा व्यापक साधन उपलब्ध कराने की बहुत आवश्यकता हैं आने वाले दशकों में जनसंख्या की बढती हुई गति पर काबू करना होगा। इस समस्या के समाधान के लिए महिलाओं को साक्षर तथा शिक्षित करना होगा। अगले दशकों के नवीन तनावों से निपटने के लिए मानव संसाधनों को नवीन ढंग से विकसित करना होगा। अतः इन नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक नई शिक्षा–नीति तैयार की जो सन् 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय शिक्षा–नीति के प्रारूप में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का ढाँचा तैयार किया गया।

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2021 – 21 वी सदी के 20 वे साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई है। भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई थी उसके बाद 1986 में बनाई गई थी उसके बाद नई शिक्षा नीति को 1992 में संशोधित किया गया। लगभग 34 साल बाद 2021 में पुनः नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किये गए हैं। नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2021 से छात्रों और शिक्षाविदों साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढेंगे। नई शिक्षा नीति 2021 के तहत 2030 तक शैक्षिक प्रणाली को निश्चित किया गया है और वर्तमान में चल रही 10. 2 के मॉडल के स्थान पर पाठ्यक्रम में 5. 3. 3. 4 की शैक्षिक प्रणाली के आधार पर पाठ्यक्रम को विभाजित किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2021 के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के निवेश का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र सहयोग के लिए देश की 6ः जीडीपी के बराबर शिक्षा क्षेत्र में निवेश करेगी।

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य शैक्षिक क्षेत्र में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाना है और भारत के लिए नई शैक्षिक नीतियां के माध्यम से संपूर्ण भारत में शिक्षा का उचित स्तर प्रदान करना है जिससे शैक्षिक क्षेत्र की गुणवत्ता उच्च हो सके। भारत में बच्चों को तकनीकी तथा रचनात्मकता के साथ–साथ शिक्षा की गुणवत्ता का महत्व से अवगत कराना नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। शिक्षा में गुणवक्ता लाने के लिए यह केंद्र सरकार के तहत नई शिक्षा नीति को शुरू किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा–नीति में विभिन्न विद्धानों की सहभागिता व उनके द्वारा दी गयी शिक्षा नीतियाँ–

1. लार्ड मैकाले की शिक्षा नीति

फरवरी 1835 को लार्ड मैकाले अपना ऐतिहासिक शिक्षा नीति विवरण पत्र गर्वनर जनरल को प्रस्तुत किया जिससे प्राचीन शिक्षा सर्मथकों के तर्कों का भरपूर विरोध किया गया था। मैकाले की शिक्षा नीति के प्रमुख तत्व

1. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी।
2. प्राच्य शिक्षा संस्थाओं का विरोध।
3. अरबी एवं संस्कृत पर समय एवं धन का अपव्यय।
4. भारतीय साहित्य का मजाक।
5. साहित्य संबंधी व्याख्या।
6. भारतीय विद्वान सम्बंधी।
7. भारतीय धर्म पर कुठाराघात।

2. वुड की शिक्षा नीति

19 जुलाई 1854 को कम्पनी ने अपनी भारतीय शिक्षा –नीति की घोषणा कर दी । इस समय चार्ल्स वुड कम्पनी में बोर्ड आफ कन्ट्रोल का अध्यक्ष था । इसलिए यह घोषणा–पत्र उसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वुड के घोषणा –पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा की संज्ञा दी जाती है।

1. शिक्षा सम्बंधी एक स्थायी नीति निर्धारित कर उसकी समुचित व्यवस्था की जरुरत समझी गयी।
2. शिक्षण माध्यम में वृद्धि– शिक्षण माध्यम अंग्रेजी के साथ ही भारतीय भाषाओं को भी शिक्षण माध्यम बनाने की जरुरत महसूस हुई।
3. नवीन शिक्षा–संस्थाओं की वृद्धि अंग्रेजी शिक्षा के विकास के साथ नवीन ढंग की शिक्षण संस्थाओं की वृद्धि जरुरी हुई।
4. शिक्षा स्तर में परिवर्तन– शिक्षा के स्तर एवं पाठयक्रम में सुधार या परिवर्तन लाने की जरुरत समझी गई।

3. लार्ड कर्जन की शिक्षा नीति –

कर्जन ने 1901 ई. में शिमला में एक गुप्त शिक्षा–सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में प्रत्येक प्रान्त से षिक्षा के संचालकों को तथा ईसाई प्रचारकों के प्रतिनिधियों को निमन्त्रित किया गया। यह सम्मेलन 15 दिन तक चला। इसका सभापति कर्जन था। सम्मेलन में 150 प्रस्ताव पारित किये गए। यहीं पर कर्जन ने पहले पहली अपनी शिक्षा सम्बंधी नीति को घोषित किया । उसमें अग्रलिखित बातें मुख्य थीं–

1. सरकार शिक्षा के लिए अधिक धन– राषि निर्धारित करेगें।
2. भिन्न–भिन्न स्थानों पर राजकीय विधालय खोले जायेगें जो

भारतीयों द्वारा स्थापित संस्थानों के लिए आदर्ष का काम करेंगें ।
3. शिक्षा के सभी क्षेत्रों में प्रषासन का नियन्त्रण रहेगा ।
4. शिक्षा केन्द्र द्वारा, नियन्त्रित तथा संचालित होगी।

4. सर जान सार्जेन्ट की शिक्षा नीति

1. एक ऐसी योजना प्रस्तुत करना जो मुख्य रुप से भारतीय हो।
2. भारत की न्यूनतम शिक्षा – सम्बंधी जरुरतों को निर्दिष्ट करते हुए यह दिखाना कि उन्हें पूरा करने में कितना वक्त लगेगा।
3. वाइसराय की कार्यकारिणी की पुनरनिर्माण समिति के समक्ष भारत में शिक्षा के युद्धोत्तर विकास की व्यवहारिक योजना प्रस्तुत करना।
4. पुरुषों एवं स्त्रियों का रोपण करने के लिए एक योजना प्रस्तुत करना।
5. इंग्लैड तथा अन्य पश्चिमी देषों में युद्ध से पूर्व प्राप्त स्तरों से तुलनीय स्तर प्राप्त करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता

1. देश, आर्थिक, तकनीकी विकास की उस अवस्था पर पहुँच गया है, जहाँ सृजित सम्पत्तियों का अधिकतम लाभ सभी वर्गों तक पहुँचाने का प्रयास किया जाना है। शिक्षा इस उद्देश्य की प्राप्ति का राजमार्ग है।
2. इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए भारत सरकार ने जनवरी 1985 में घोषणा की कि देश के लिये एक नई शिक्षा नीति की रचना की जायेगी। विद्यमान शिक्षा की सघन समीक्षा, देश भर में बहस कराकर की गई। देश के विभिन्न भागों से प्राप्त विचारों तथा सुझावों का अध्ययन सतर्कतापूर्वक किया गया।
3. स्वतन्त्र भारत में 1968 की शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम रही है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता तथा संस्कृति की भावना और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना रहा है।
4. 1968 की नीति के अनुसार शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का प्रसार किया गया।
5. सम्पूर्ण देश में शिक्षा की सामान्य संरचना की स्वीकृति अधिकांश राज्यों में 10+2+3 शिक्षा पद्धति का अनुसरण महत्वपूर्ण घटना है।
6. उपाधि स्तर पर पाठ्यक्रमों की पुनर्रचना की गई।
7. 1968 की शिक्षा नीति सम्मिलित अनेक कार्यों को संगठनात्मक सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। उनकी रणनीति, विनियोग को आर्थिक सहायता न मिल सकी। परिणाम यह हुआ कि आधिक्य, गुण, उपयोग तथा आर्थिक ढाँचे में निरन्तर वृद्धि होती रही और अब इन सभी को प्रथमिकता देकर हल किया जाना आवश्यक है।
8. भारत में शिक्षा आज चौराहे पर खड़ी है। सामान्य रेखीय प्रसार और न ही विद्यमान स्थिति और सुधार की प्रकृति इन परिस्थितियों का सामना कर सकती है।
9. भारतीय चिन्तन के अनुसार मानव एक सकारात्मक बहुमूल्य राष्ट्रीय स्रोत है, जिसका विकास सावधानीपूर्वक गतिशीलता के साथ किया जाना चाहिये।
10. भारत का राजनैतिक तथा सामजिक जीवन ऐसी अवस्था से गुजर रहा है, जहाँ पूर्ण स्वीकृत दीर्घकालीन मूल्यों का विनाश हो रहा है।
11. निर्बल संरचना तथा समाज सेवा के कारण ग्राम क्षेत्रों को प्रशिक्षित युवाओं का लाभ उस समय तक नहीं मिल पायेगा।
12. आने वाले दशकों में देश की जनसंख्या वृद्धि की गति को धीमा करना होगा। स्त्रियों में शिक्षा प्रसार तथा साक्षरता में वृद्धि इस समस्या को हल करेगी।
13. आने वाले दशक अत्यन्त संघर्ष के होंगे। इनमें अनेक प्रकार के अवसर होंगे। नये वातावरण का लाभ उठाने के लिये मानव विकास के नये प्रतिमानों की रचना करनी होगी।
14. सरकार के समक्ष देश के लिये नई शिक्षा नीति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नवीन चुनौतियों तथा सामाजिक आवश्यकताओं ने उत्पन्न की है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की भूमिका

1. राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा सभी के लिये अनिवार्य है। हमारे सर्वांगीण विकास भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिये यह आधारभूत तत्व है।
2. शिक्षा सांस्कृतिक भूमिका प्रस्तुत करती है। यह राष्ट्रीय एकता में योगदान देने वाली संवेदनशीलता तथा प्रतिबन्ध को परिष्कृत कर वैज्ञानिक मनोवृत्ति एवं मानसिक स्वतन्त्रता एवं भावना विकसित कर समाजवाद, धर्म निर्पेक्षता तथा जनतन्त्र का विकास संविधान के अर्न्तगत करती है।
3. अर्थव्यवस्था के सभी स्तरों पर शिक्षा, जनशक्ति का विकास करती है, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की पूरी गारन्टी, शोध एवं विकास के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है।
4. कुल मिलाकर, शिक्षा वर्तमान तथा भविष्य में एक विशेष विनियोग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की यह मूल कुंजी है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपलब्धियाँ

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता चौथे दशक की समाप्ति पर तीव्रतर हुई, इस दिशा में देश के पहले राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी कमीशन) ने पहली बार विचार किया और 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तावित की।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु

राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योग देती है। भारत में प्रत्येक शासन काल में शासकों ने अपने आदर्शों तथा दर्शन के सन्दर्भ में शिक्षा नीति का निर्माण किया। इसका प्रमुख कारण रहा है कि शिक्षा सदा से मानव इतिहास को विकसित करती रही है, इसने काल की चेतावनी तथा सामाजिक, सांस्कृतिक चुनौती का सामना किया है। आदि काल से चली आ रही शिक्षा की प्रक्रिया आज भी किसी न किसी रूप में विद्यमान है।

शिक्षा की भूमिका और तत्व

- राष्ट्रीय सन्दर्भ में शिक्षा सभी के लिये आवश्यक है, सर्वांगीण विकास का यह आधार है। शिक्षा सांस्कृतिक सम्मिश्रण की भूमिका प्रस्तुत करती है।

शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली

शिक्षानीति में पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने पर बल दिया गया हैं शिक्षा के सभी स्तरों पर एक जैसी शिक्षाप्रणाली राष्ट्र के शैक्षिक विकास के लिये होनी चाहिये।

▪ शिक्षा और समानता

समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा की भिन्नतायें पायी जाती हैं। इन असमानताओं को दूर करने के लिये अनेक उपाय इन क्षेत्रों में किये गये हैं।

▪ नारी समानता के लिये शिक्षा

नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा नारियों के आधारभूत स्तर में परिवर्तन लाने का एक सशक्त साधन है।

अनुसूचित जातियों की शिक्षा
नई शिक्षानीति में गाँव और शहर के अनुसूचित जाति के स्त्री और पुरुषों की शिक्षा के लिये विशेष व्यवस्था पर बल दिया गया है।

- **जनजातियों की शिक्षा**

जनजातीय कल्याण के लिये जनजातीय भाषाओं के आधार पर आवासीय आश्रम, विद्यालयों की स्थापना, विभिन्न प्रकार के तकनीकी पाठ्यक्रम, उच्च शिक्षा के लिये छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्था की गई है।

- **अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा**

अन्य पिछड़े वर्गों में अल्पसंख्यकों, विकलांगों तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा की व्यवस्था के लिये छात्रवृत्ति, विशेष विद्यालयों, विशेष तकनीकी तथा प्राविधिक पाठ्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

- **प्रौढ़ शिक्षा**

भारत की बहुत बडी जनसंख्या निरक्षर है, इसलिये ग्राम तथा नगर क्षेत्रों में सतत् शिक्षा, श्रमिक शिक्षा, प्रौढ़ पाठशालायें, प्रौढ़ साहित्य तथा पुस्तकालय, जनसंचार, सुदूर शिक्षा, स्वयं शिक्षा तथा अन्य प्रकार के पाठ्यक्रमों को लागू करने का प्रयास किया जायेगा।

- **पूर्व बाल्यावस्था**

पूर्व बाल्यावस्था बालक की शिक्षा का महत्वपूर्ण वर्ष है। इस अवस्था में बालकों के उचित पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, नैतिक तथा संवेगात्मक विकास की आवश्यकता है।

- **प्राथमिक शिक्षा**

प्राथमिक शिक्षा 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिये गुणात्मक रूप से आवश्यक है।

माध्यमिक शिक्षा
नई शिक्षानीति में माध्यमिक स्तर पर विज्ञान तथा मानविकी की मानव विकास के लिये नई भूमिकाओं का अध्ययन करता है।

- **उच्च शिक्षा**

उच्च शिक्षा व्यक्ति में तार्किक दृष्टिकोण विकसित करती है। शिक्षा का चरम बिन्दु होने के कारण इस स्तर पर शिक्षकों का महत्व बढ़ जाता है।

खुले विश्वविद्यालय और सुदूर शिक्षा
ऐसे व्यक्ति जो किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाये है या अपनी कारोबारी जिन्दगी के साथ–साथ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं।

डिग्री का रोजगार से सम्बन्ध समापन
नई शिक्षा में डिग्री तथा रोजगार के सम्बन्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रयास किया गया है।

- **ग्रामीण विश्वविद्यालय**

नई शिक्षा नीति में महात्मा गांधी के क्रान्तिकारी विचारों के आधार पर नये ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना और पुराने विश्वविद्यालयों के पुनर्गठन पर बल दिया जायेगा।

तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा
यद्यपि तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा दो अलग–अलग धाराओं में चल रही है इसका समन्वय करना आवश्यक है।

नवीनीकरण अनुसंधान तथा विकास
तकनीकी शिक्षा के उच्च स्तरों पर नवीनीकरण आवश्यक है। इस दृष्टि से अनुसंधान तथा विकास पर विशेष बल दिया।

व्यवस्था कार्य का निर्माण
नई शिक्षा नीति के विभिन्न कार्यक्रमों को सम्पन्न करने के लिये व्यवस्था विकसित की जायेगी।

- **शिक्षा की प्रक्रिया का अभिनव**

वर्तमान शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने के लिये इसके दोषों को दूर करना होगा।

- **मूल्यांकन प्रणाली**

आन्तरिक मूल्यांकन शिक्षा का अनिवार्य अंग होगा। इसके लिये वैयक्तिकता, हतोत्साहित किया जायेगा और छात्रों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिये ठोस उपाय अपनाये जायेंगे।

शिक्षक
शिक्षकों के स्तर को ऊंचा रखने के लिये विशेष प्रयास किये जायेंगे, जिसमें शिक्षकों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

शिक्षा की व्यवस्था
शिक्षा को पुनर्गठित करने के लिये आमूल परिवर्तन किया जायेगा, जिसके आधीन दीर्घकालीन योजना का निर्माण, विकेन्द्रीकरण, शिक्षण संस्थानों की स्वायत्तता, नारी शिक्षा पर विशेष बल दियाजायेगा।

निष्कर्ष
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के विगत लगभग 65 वर्षों में भारत में शिक्षा व्यवस्था के विकास के लिये लगभग 6 आयोगों तथा समितियों ने अपने–अपने ढंग से सुझाव प्रस्तुत किये हैं। इस गरीब देश के धन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन आयोगों पर व्यय किया जा चुका है। किन्तु इनके जो परिणाम सामने आये है, उन्हें देखकर घोर निराशा होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार कर ली गई है। तथा लागू भी कर दी गई है जैसा कि होता आया है। कुछ शिक्षाविदों ने इस नीति की प्रशंसा की है, और कुछ ने इसके सुझावों की आलोचना की है। इस शिक्षा नीति को लागू किये जाते समय सरकार द्वारा यह आश्वस्त किया गया था कि यह नीति भारतीय शिक्षा में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन लायेगी। यदि हम इस नयी शिक्षा नीति के प्रावधानों को एक–एक करके देखना प्रारंभ करें, तो हम पायेंगे कि इनमें कुछ भी विशेष या नया नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात के लिये एक दृढ़ नीति बनाई जानी चाहिये थी कि भारत में प्रत्येक स्तर की शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा होना चाहिये। किन्तु हम कभी इस विषय पर गंभीर नहीं हुए। शिक्षा नीति में भी इस दिशा में वही कहा गया जो पिछले आयोग कह चुके थे। कुल मिला कर आज हमारे समाज में जो गिरावट आ रही है, चारित्रिक पतन हो रहा है, भ्रष्टाचार, माफियाराज, गुण्डागर्दी और अराजकता का वातावरण पूरी तरह हावी है, उसके मूल में हमारी यही शैक्षिक कमजोरी और अज्ञानता है, जो अंग्रेजी माध्यम से पढने के कारण हमारे अन्दर रह गई हैं हिन्दी को समुचित सम्मान न देकर हम राष्ट्रीयता की भावना से हीन हो गयी हैं तथा अज्ञान को ज्ञान कह कर प्रचारित कर रहे हैं। यही कारण है कि आज शिक्षा एक पावन कार्य न रह कर, व्यापार बन ई है। और शिक्षा हमारा व्यक्तिगत, सामजिक, नैतिक व चारित्रिक उत्थान का साधन बनने की बजाय पतन का कारण बन रही है।

आज आवश्यकता है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जो पूर्ण रूप से भारत की आवश्यकताओं, क्षमताओं और परिस्थितियों के अनुरूप हो तथा इस राष्ट्र का वास्तविक विकास कर सकें।

संदर्भ गन्थ सूची

1. शर्मा, रामनाथ, राजेन्द्र कुमार (1996), "सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियन्त्रण", एटलाण्टिक पब्लिकेशन एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, नई दिल्ली।
2. शर्मा, दीपक (1998), "भारतीय शिक्षा के मूल", मै. बुक डिपो, जालंधर पंजाब।
3. www.google.com
4. www.wikipedia.com
5. sodhaganga.com
6. www.ncert.com